

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर



प्रान्त : जूनीरसिटी  
दूरभाष : ००९१-(०७५१) २४४२८०१  
(कालालय)  
२४४२४६२ (विवाह)  
फैक्स : (००९१-०७५१-२३४१७६८)  
E-mail : jiwajidcdc@gmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

दिनांक : २८-०९-२०१९

क्रमांक: एफ/सम्बद्धता/२०१९/६२६९

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६ (i) (v) एवं २४ (xii) के अन्तर्गत स्थाई रायिति की बैठक दिनांक १६ अप्रैल एवं २६ अप्रैल २०१९ की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक ०१ जून २०१९ के पद क्रमांक (०१) के निर्णयानुसार **ARYANSH COLLEGE,VILL.-DHANELI, MORAR, GWALIOR** को सत्र २०१९-२० के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

ARYANSH COLLEGE,VILL.-	B.ED.	100
DHANELI, MORAR, GWALIOR		

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

१. परिवियम २८(१७) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

आदेशानुसार

  
 कुलसचिव

बोटिस:-

- उक्त कार्यवाही 30 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करें, अन्यथा सत्र 2020-21 की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत वियुक्त शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी सत्र में निरीक्षण प्रोफार्म के साथ दिये गये प्रोफार्म में मत्र चयन रामिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंट द्वारा वियुक्त शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्म में भर कर प्रस्तुत करनी होगी तभी महाविद्यालय को आगामी सत्र की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

1. प्राचार्य, ARYANSH COLLEGE, VILL.-DHANELI, MORAR, GWALIOR
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रातपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, झालियर-चंबल संभाग, भोतीमहल परिसर, झालियर।
4. उप-कुलराधिक (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



Dr. Arunawat

डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्